

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी-3/1, अंबेडकर भवन, राजस्थान नैजीडेंडी (एरिया ऑफिस) लार्ज नैन्वे फ्लॉक के पास जयपुर 302005

क्रमांक एफ1(8)/()लो.सू./सान्याअवि/2015/ 2517

जयपुर, दिनांक 11/03/2015

:: आदेश ::

मुख्य सचिव महोदय के परिपत्र क्रमांक प.11(1)प्र.सु./सू.अ.प्र./2015/दिनांक 05.2.2015 के क्रम में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना आयोग में राज्य लोक सूचना अधिकारी के विनिश्चय के विरुद्ध द्वितीय अपील प्रस्तुत करने पर आयोग से प्राप्त अपील नोटिस संबंधित लोक सूचना अधिकारी को तामील कराने की व्यवस्था हेतु अतिरिक्त निदेशक (सर्तकता एवं प्रशासन), मुख्यावास को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता है।


M 10-3-15
(अम्बरीष कुमार)
निदेशक

जयपुर, दिनांक 11/03/2015

क्रमांक एफ1(8)/()लो.सू./सान्याअवि/2015/ 2518-70

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. सचिव राजस्थान लोक सूचना आयोग, जयपुर।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव/अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग, शासन सचिवालय जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. निजी सचिव, निदेशक/अतिरिक्त निदेशक(स.प्र.), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. समस्त लोक सूचना अधिकारी....., मुख्यावास /लोक सूचना अधिकारी उप निदेशक/सहायक निदेशक/जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी/महिला सदन/नारी निकेतन/वृद्ध एवं अशक्त गृह, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, को मुख्य सचिव महोदय के परिपत्र दिनांक 05.02.2015 एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग के पत्र दिनांक 13.02.2015 की प्रति भेजकर लेख हैं कि परिपत्र में दिये गये निर्देशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित करे साथ ही पत्र के साथ संलग्न प्रारूप में सूचना अतिशीघ्र भिजवाने का श्रम करावे।
6. आदेश पत्रावली।


(राधाकृष्ण मीणा)
उप निदेशक (कार्यालय प्रशासन)